प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट के अधिग्रहण हेतु गठित एक न्यास, स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइजेशन फण्ड की लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। एसएएसएफ की लेखापरीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा मई, 2013 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सौंपी गई थी।